भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3232

बुधवार, 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में नए उद्योग

3232. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू और संचालित करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो किन जिलों में प्रायोगिक परियोजना के आधार पर उक्त उद्योगों को संचालित करने की संभावना है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): भारत के संविधान की संघ सूची में वर्णित विशिष्ट मदों को छोड़कर उद्योग मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार समय समय पर देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और योजनाएं लाती है। भारत सरकार राज्यों में व्यवसाय परिवेश को सुधारने के लिए एक सुधार ढांचा भी प्रदान करती है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक सरकार राज्य में सतत, संतुलित औऱ समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक रूप से उद्योगों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को आवश्यक अवसंरचना प्रदान करती है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए औद्योगिक नीति 2020-25 लागू की गई है। निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करके औद्योगिक नीति के तहत प्रावधान किए गए हैं:-

- स्टाम्प शुल्क और रियायती पंजीकरण शुल्क से छूट
- भूमि परिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- एमएसएई हेतु इलैक्ट्रिक टैरिफ संबंधी कर से छूट
- एमएसएमई हेतु बिजली सब्सिडी

- कारीगरों को सहायता
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए सब्सिडी
- निजी निवेशकों द्वारा सामान्य एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट/ औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट निपटान परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सब्सिडी
- एंकर उद्योगों के लिए निवेश सब्सिडी
- टर्नओवर क्षेत्रों के आधार पर निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी

(ग): प्रश्न नहीं उठता है।

******